संख्या–1447/XVIII(1)/2021-07(6)/2019

प्रेषक,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 27 सितम्बर, 2021

विषय– **सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4737, दिनांक 30.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रदेश के नागरिकों को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या के क्रम में जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

2– प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से सम्बन्धित है और 01 वर्ष की आय में खरीफ व रबी की फसल से ही आय का आंकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 01 वर्ष की अवधि से आच्छादित है।

3– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा, के लिए मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर **संलग्नक–1** आय प्रमाण पत्र का प्रारूप अपलोड किये जाने हेतु भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव

क्रमशः..........2–

Letter

संख्या- 1547 (1)/XVIII(1)/2021-07(6)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी कौलागढ, देहरादून।
5. महालेखाकार आडिट वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त अधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. बजट अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)

अनुसचिव